

03.02.22 पत्रावली आज पेश हुई
प्राथमिक वकील उपस्थित। विप्राथमिक उपस्थित
प्राथमिक वकील को एकपक्षीय लखन चुकी गई
पत्रावली करने आदेश दिनांक 14.02.2022
के अनुसार

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

14.02.22 पत्रावली आज पेश हुई
प्राथमिक वकील उपस्थित। प्राथमिक वकील को
कोर्ट में पेश किया जाकर बरतद मंगला सिवाना पटवार
मंगला सिवाना के ख.स. 1712/395-288 का
0.1803 के अन्तर्गत कृषिमाहान हेतु नदमीलदार
सिवाना के ~~कोर्ट~~ कोर्ट में निम्नवत किया
जाता है कि कोर्ट को इस अन्तर्गत 5000 प्राथमिक
मौजे पर अन्तर्गत नदमीलदार सिवाना के
पटवार जारी है। पत्रावली के अन्तर्गत कोर्ट
कोर्ट में पेश है।

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना (बाड़मेर)

क्रमांक: वाचक/2022/280

दिनांक : - 15.02.22

प्रार्थी

श्रीमती मन्जूदेवी पत्नी महेन्द्र कुमार पुत्र छगनलाल जाति जैन ओसवाल निवासी
सिवाना तहसील सिवाना जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थी

1. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 128, 141A, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम

राजस्व आवेदन सं...146/2021

दिनांक :- 14.02.2022

--: आदेश :-

उपरोक्त प्रकरण में राजस्व ग्राम सिवाना पटवार मण्डल सिवाना तहसील सिवाना के खेत खसरा नम्बर 1712/365 रकबा 0.1903 हैक्टर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार सिवाना को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस रुपये 500/- प्रार्थी अदा करेगा।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस ईमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी,
सिवाना

दिनांक :- 15.02.22

क्रमांक: वाचक/2022/281-284

प्रतिलिपि :

1. तहसीलदार सिवाना

थानाधिकारी पुलिस थाना सिवाना

3. हल्का पटवारी सिवाना को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।

4. श्रीमती मन्जूदेवी पत्नी महेन्द्र कुमार पुत्र छगनलाल जाति जैन ओसवाल निवासी सिवाना तहसील सिवाना जिला बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी,
सिवाना (बाड़मेर)

